


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 1658-अध्यक्ष/15

जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-7-2015	<p>आवेदकगण की ओर से श्री एस0 के0 खरे, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदकगण की ओर से तहसीलदार, मुरार ग्वालियर द्वारा जारी कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 27-5-2015 के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । तहसीलदार द्वारा अभी आवेदक को केवल कारण बताओं सूचना पत्र दिया गया है और उसे अपना पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर तहसीलदार के समक्ष उपलब्ध है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया प्रीम्योच्योर होने से अग्राह्य की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;"> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म०प्र०, ग्वालियर  
प्रकरण क्रमांक / 2015 निगरानी

निगरानी 1858-PBR-15

चन्द्रपाल सिंह सेंगर पुत्र श्री मुंशीसिंह सेंगर  
आयु- 61 वर्ष, व्यवसाय-रिटायर  
निवासी-जनकपुरी गेट के पास,  
आदित्यपुरम, ग्वालियर .....आवेदक

बनाम

म०प्र० शासन द्वारा कलेक्टर महोदय जिला  
ग्वालियर .....अनावेदक

श्री. भूपेन्द्र माहेश Bhupendra Mahesh  
द्वारा आज दि 23-6-15 को (भूपेन्द्र माहेश)  
प्रस्तुत  
कलेक्टर ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता, विरुद्ध आदेश दिनांक  
27/05/2015 पारित द्वारा तहसीलदार महोदय मुरार जिला ग्वालियर (म०  
प्र०) जो प्रकरण क्रमांक 25/अ- 68/14.-15 में पारित कर निगरानी कर्ता  
को कारण वताओ नोटिस अन्तर्गत धारा 248(1) म०प्र० भू-राजस्व संहिता  
प्रदान कर खसरा नं० 513-514 के 2000 वर्गफुट शासकीय भूमि पर अवैध  
कब्जा वताते हुए कार्यवाही करने का आदेश प्रदान किया है। निगरानी अन्तर्गत  
आदेश प्रदर्श ए-1 से चिन्हित किया गया है।